तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल जज
19/5/22	पत्रावली आज प्रस्तुत सर्वे के लिए कलक्टर [illegible] कोरम पेश। इसी पत्रावली का अवलोकन अध्ययन किया गया। विपक्षीगण बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहे हैं प्रकरण के बाबत [illegible] जानकारी ली गई। रीडर बताया कि लिखा जाकर खुले न्यायालय पढ़कर सुनाया गया। रीडर को कार्यवाही तहसील जारी है पालना प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावे। पत्रावली निर्णय तैयार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) (प्रमोद कुमार) उपखण्ड अधिकारी, गुढ़ामालानी शिविर प्रभारी प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 पंचायत समिति गुढ़ामालानी/आडेल

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:04:21 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 43/2022

प्रार्थीगण :–

1. अणसी पत्नी चुतराराम
   जाति जाट निवासी महादेव मंदिर तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1. भैराराम पुत्र पुरखाराम
2. आदूराम पुत्र मगनाराम
3. मोटा पुत्र मगना
4. रावता पुत्र मंगना
5. वाली पत्नी मंगना
6. अचला पुत्र वीरमा
7. रूकी पत्नी वीरमा
8. रामा पुत्र वीरमा
   जाति जाट निवासी महादेव मंदिर तहसील नौखडा जिला बाड़मेर
9. तहसीलदार नौखडा

<u>राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

–:: आदेश ::–

दिनांक :– 19/05/22

प्रार्थीनी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 सपठित धारा 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु,नेखम पैमाईश जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश किया। प्रकरण दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बाबजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

हमने प्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री डालूराम चौधरी की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2078 सरहद मौजा महादेव मंदिर छोटू के खेत खसरा नम्बर 1016/497, 1031/411 रकबा क्रमशः 0.8094, 0.8903 हैक्टेयर कुल रकबा 1.6997 हैक्टेयर का अवलोकन कि[illegible] में प्रार्थीनी का नाम बतौर खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीनी [illegible] सीमा चिन्ह व पक्की माठे नहीं होने से काश्त व [illegible] समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न [illegible]जाती है जिससे बचने के लिये प्रार्थीनी अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीनी विवादित भूमि का राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:04:21 IST
Reason: SelfAttested

अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नौखडा को आदेशित किया जाता है दोनों पक्षकारों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा महादेव मंदिर छोटू के खेत खसरा नम्बर 1016/497, 1031/411 रकबा कमश 0.8094, 0.8903 हैक्टेयर कुल रकबा 1.6997 हैक्टेयर के सम्बन्ध में सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार नौखडा को 500/- शुल्क पर कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे। आवश्यकता होने पर तहसीलदार नौखडा को थानाधिकारी पुलिस थाना RGT रावलीनाडी नगर से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार नौखडा बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 19/5/2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(प्रमोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

उपखण्ड अधिकारी, गुडामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.19 16:04:21 IST
Reason: SelfAttested